PIRCI का USUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1830]

मई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2010/भाद्र 12, 1932

No. 18301

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010/BHADRA 12, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

मई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सं. 70/2010-आयकर

का.आ. 2174(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 881(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) प्रस्तावना में, क्रम **संख्या '1 से 8' के शब्दों एवं आंकड़ों के** लिए 'क्रम संख्या 1 से 9' के शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
- (ii) पैरा (ख), (ग) एवं (घ) में, जहां भी "संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द आया है वहां "अपर आयकर निदेशक या संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अनुसूची

	आयकर प्राधिकारियों मुख्यालय का पदनाम	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी	शक्तियां एवं कर्तव्य
1	2 3	4	5. SERTE	6
1.	आयकर निदेशक नई दिल्ली (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-I	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र	I. कालम् 4 में (i) भें उद्घिलखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए तिस्तृलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है, अर्थात् :—	(क) क्रमांक 1 के कालम (5) की मद 1क एवं 11 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयंकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 छ, 195, 196क, 196ख,
			(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क)	196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित

3

4

5

कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां

(ख) क्रमांक 1 के कालम (5) की मद I (ख), I(ग), I(घ) एवं I (ङ), तथा II (ख), II(ग), (घ) एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्नेत पर कर कटीती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।

के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में डिल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;

- (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आइरित करते हैं तथा क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं:
- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आइरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है:
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (ङ) क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनयम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं;

II कालम 4 में (i) में उल्लिखत भौगिलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत

(ii) हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर आने वाले क्षेत्र।

នូក្សា ស្រាស្សា ឬ/ នៅនៃ

2

2

3

5

है जो क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है:

- (ख) कम्पनियों से पिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आग्र से पिन्न स्नोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं:
- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (ङ) क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं;
- I. कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है. अर्थात :—
- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है:
- (क) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद I क II क एवं III (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1948, 195, 196क, 196ख. 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों।
- (ख) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद I (ख), I(ग), I(घ) एवं I(ङ) तथा II (ख), II(ग), II (घ) एवं II(ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिकासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1948, 195, 196क,

 आयकर निदेशक नई दिल्ली (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली -II (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र

4

5

(ख) कम्पनियों से मिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से मिन स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;

- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है:
- (ङ) क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं;

II. क्रमांक 2 के कालम 4 में (ii) में उल्लिखित मौगिलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भृत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भृत या उत्पन्न समझा जाता है:

(ख)कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित मौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं:

(ii) का.आ. 732 (अ) दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य में सीसीआईटी, कानपुर, सीसीआईटी, गाजियांबाद तथा सीसीआईटी, देहरादून के क्षेत्राधिकार में आने वाले मौगालिक क्षेत्र।

196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्नोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।
(ग) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद III (क) में डिल्लिखत व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्नोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां।

.

3

4

5

(ग) कम्पनियों से पिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;

- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (ङ) क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है;

III. क्रमांक 2 के कालम 4 में (iii) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्मृत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्मृत या उत्पन्न समझा जाता है।

क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए', 'सी', डी एवं 'आर से जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में (क) क्रमांक 3 के कालम (5) की मद 1 क में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

(ख) क्रमांक 3 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर

(iii) का.आ. 732 (अ) दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश में सीसीआईटी, लखनऊ, सीसीआईटी, बरेली के क्षेत्राधिकार में आने वाले भौगालिक क्षेत्र।

 आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-I, मुम्बई मुम्बई महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य में —ग्रेटर
मुम्बई नगर पालिका
परिषद् तथा थाणे एवं
रायगढ़ जिलों की
भौगोलिक सीमाओं में
आने वाले क्षेत्र

1 2 , 3 , 4

5

6

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

194 জ, 195, 196 জ, 196 জ,

196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत

स्रोत पर कर कटौती से संबंधित

सभी कार्य एवं शक्तियां।

'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;

- (ख) कम्पनियों से पिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से पिन्न स्नोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं:
- (ग) कम्पनियों से मिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (ङ) क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है:

क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'बी' एवं 'ई' से 'क्यू' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है।

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्थेत है जो क्रमांक 4 के कालम (4) में (क) क्रमांक 4 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखत व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

(ख) क्रमांक 4 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आवकर अधिनियम, 1961 की घारा 194 इ. 195 स्तु 196 का, 196 इ.

आयकर निदेशक मुम्बई
 (अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र
 कराधान)-II
 मुम्बई

FIRST SE

महासन्द्र राज्य में —ग्रेटर सुम्बई नगर पालिका परिषद तथा थाणे एवं रायगढ़ जिलों की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र

विष्णाग्यः । स्टिप्ट हेः

5 17 17

wy wy

3

4

5

196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित

सभी कार्य एवं शक्तियां।

6

उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है :

- (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्नोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं:
- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है:
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित मौगोलिक क्षेत्र में है:
- (ङ) क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।
- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भृत या उत्पन्न समझा जाता है;
- (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;
- (क) क्रमांक 5 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196ग और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।
- (ख) क्रमांक 5 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 इ., 195, 196 क., 196 ख, 196 ग, 196 घ और 197 के अंतर्गत स्नोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।

 आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर बंगलौर कर्नाटक, गोवा एवं कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र

. ,

3

. 5

6

- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में हैं;
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखत भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (ङ) क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii या अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;

- (ख) कम्पनियों से मिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से मिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;
- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है :
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत

(क) क्रमांक 6 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

(ख) क्रमांक 6 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 इ., 195, 196 क., 196 ख, 196 ग, 196 घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।

 आयकर निदेशक चेन्नई,
 (अंतर्राष्ट्रीय तिमलनाडु कराधान),
 चेन्नई तिमलनाडु, केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र पाँडिचेरी एवं लक्षदीप की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र

3

कोलकाता

पश्चिम

बंगाल :

5

6

कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है; (ङ) क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार

- आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोलकाता
- (i) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले

क्षेत्र

- I. क्रमांक 7 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए
- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भृत या उत्पन्न समझा जाता है;
- (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;
- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित मौगोलिक क्षेत्र में हैं:
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है।
- (ङ) क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर

- (क) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों। समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।
- (ख) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद 1(ख), 1(ग), 1(घ) एवं 1(ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिर्धासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 194ङ, 1953, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तिरुगं।

1 2 3

5

6

अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ii) बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, नागालेंड,अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र

II. क्रमांक 7 के कालम (4) में (ii) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए

(क) आवकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रदोभूत या उत्पन्न समझा जाता है :

(ग) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां।

 आयकर निदेशक अहमदाबाद (अंतर्राष्ट्रीय गुजरात कराधान), अहमदाबाद (i) छत्तीसगढ़, गुजरात राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव दादरा एवं नगर हवेली की मौगोलिक सीमा में आने वाले क्षेत्र I. क्रमांक 8 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है आ कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भृत या उत्पन्न समझा जाता है ;

(ख) कम्पनियों से मिन व्यक्ति जो व्यवसाय या फेरा से आय से भिन कोलों से अपय आक्रस्ति कसते हैं सम्बद्ध क्रमांक के कालम (4) में अस्टिकीक क्रमांतिक क्षेत्र के

(व) क्यानिकों से जिल्ल व्यवस्त जो व्यवसाय का केल से काय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है:

(क) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों स्मेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

(ख) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद 1(ख), 1(ग), 1(घ) एवं 1(ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 इ., 195, 196 क, 196 ख, 196 गं, 196 घ और 197 के अंतर्गत स्क्रीत पर कर कटौती से संबंधित स्क्री कार्य एवं शक्तियां।

3

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है:

(ङ) क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयक्तर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख को अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार

(ii)मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा में आने वाला क्षेत्र

4

II. क्रमांक 8 के कालम (4) में (ii) में उल्लिखत भौगिलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा ज़िल्का लागू दोहरा कर परिहार करार की दुष्टि से क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भृत या उत्पन्न समझा जाता है।

(ग) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद्र 📙 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोडकर सभी कार्य एवं शक्तियां।

9. आयकर निदेशक पुणे, (अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र कराधान), पुणे

(i) ग्रेटर मुम्बई नगरपालिका परिषद तथा महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ एवं थाणे जिलों के अन्दर आने वाले क्षेत्रों को छोडकर महाराष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमा में आने वाले क्षेत्र

क्रमांक 9 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागु दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखत क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;

(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोत्रों से आय आहरित करते

(क) क्रमांक 9 के कालम (5) की मद । (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड , 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

1 2 3 4 5

हैं तथा क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;

- (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;
- (ङ) क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार

(ख) क्रमांक 9 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।

2. यह अधिसूचना 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 187/5/2010-आ.क.नि.I] रमन चोपडा निदेशक (आयकर नि. I)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. का.आ. 881(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई तथा आखिरी बार सं. का.आ. (अ) दिनांक, सितम्बर, 2007 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2010

No. 70/2010-INCOME TAX

S.O. 2174 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes) number S.O. 881 (E), dated the 14th September, 2001, namely:—

In the said notification,-

- (i) in the preamble, for the words and figures serial numbers '1 to 8' of words and figures 'serial number 1 to 9' shall be substituted;
- (ii) in paras (b), (c) and (d), for the words "Joint Directors of Income-tax", wherever they occur the words "Additional Directors of Income-tax or Joint Directors of Income-tax" shall be substituted;
- (iii) for the Schedule the following Schedule shall be substituted namely:—

SCHEDULE

Sl. Disignation Headquater Territorial Area Persons or class of persons
No. of the Incometax Authorities

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Director of New Delhi Income-tax
 (International Taxation)
 Delhi -1
- (i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of Delhi
- I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A' to 'M', namely:—
- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 1 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 1;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4') against serial number 1;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or perincipal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 1:

- (a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a) and II (a) of column (5) against serial number 1.
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I(b), I(c), I(d) and I(e) and II(b), II(c), II(d) and II(e) of column (5) against serial number I.

(e) any

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

other

person

(6)

(ii) Areas lying within the territorial limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.

enil.

33

4.

10:

to

- responsible for deducting tax at source under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1;
- II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against serial number 1:
- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of subsection (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 1;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or perincipal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 1;

(3)

(4)

(5)

(6)

- 2. Director of New Delhi Income-tax (International Taxation)
 Delhi -II
- (i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of New Delhi
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1:
- I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) following persons having their names beginning with any of the alphabets 'N' to 'Z', namely:—
- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 2 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 2;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and

- (a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a), II (a) and III (a) of column (5) against serial number 2.
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I(b), I(c), I(d) and I(e) and II(b), II(c), II (d) and II (e) of column (5) against serial number 2.
- (c) all functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Incometax Act, 1961 in respect or persons mentioned at item III (a) of column (5) against serial number 2.

(1) (2) (3) (4) (5)

having registered office or perincipal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 2;

- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;
- (ii) Territorial area under the jurisdiction of CCIT, Kanpur, CCIT, Gaziabad and CCIT Dehradun in the of Uttar State Pradesh and Uttaranchal, Specified in S.O. 732 (E) dated 31-7-2001, S.O. 733 (E) dated 31-7-2001 and S.O. 185 (E) dated 12-2-2007
- II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against Serial number 2.
- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of subsection (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 2;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and

(3)

(4)

(5)

(6)

- having registered office or perincipal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 2;
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2:
- (iii) Territorial area under the iurisdiction of CCIT, Lucknow, CCIT, Allahabad, CCIT, Bareli, in State of Uttar Pradesh Specified in S.O. 732 (E) dated 31-7-2001, S.O. 733 (E) dated 31-7-2001 and S.O. 185 (E) dated 12-2-2007
- III. For the territorial area mentioned at (iii) in column (4) against Serial number 2.
- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 2;

3. Director of Mumbai. Income-tax Maharashtra (International Taxation)-I Mumbai

In the State of Maharashtra - Areas lying within the territorial limits of Metropolitan Council of Greater Mumbai and Districts of Thane and Raigarh.

For the territorial area mentioned in column (4) against serial number 3 following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A', 'C', 'D' and 'R' to 'Z'.

- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in
- (a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 3.
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on

(3)

(4)

(5)

(6)

the areas mentioned in column (4) against serial number 2 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 3;

- payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 3.
- (b) persons being other than companies deriving income from sources o ther than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in coloum (4) against serial number 3;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 3;
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 3.

2)

(3)

(4)

(5

(6)

4. Director of Mumbai Income tax Maharashtra (International Taxation)-II Mumbai

In the State of Maharashtra - Areas lying within the territorial limits of Metropolitan Council of Greater Mumbai and Districts of Thane and Raigarh.

For the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4 following persons having their names beginning with any of the alphabet 'B' and 'E' to 'Q'.

- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of subsection (23A) of Section 2 of the income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 4;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4;
- (d) prisons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 4:
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4;

- (a) All functions and powers including functions and powers relating to tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a), of column (5) against serial number 4.
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 4.

(a) Persons

(5)

being

residents including foreign

companies within the

meaning of sub-section

(23A) of Section 2 of the

Income-tax Act, 1961 and

having a 'Permanent'

Establishment' in terms of

the applicable Double Tax

Avoidance Agreement, in

the areas mentioned in

column (4) against serial

number 5 or having a

'Business Connection' or

having any source of

income accruing or arising

or deemed to be accruing

or arising in the areas...

mentioned in column (4)

against serial number 5;

non-

(1)

5. Director of Bangalore. Income tax Karnataka (International Taxation).

(3)

(2)

Bangalore

(4)

Area lying within the territorial limit of State of Karnataka. Goa and Andhra Pradesh.

- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5;
- (c) persons being other than companies deriving income business or from profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5;
- (d)persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 5;
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5.

(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197

(6)

- of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 5;
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to nonresidents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 5.

(3)

(4)

(5)

(6)

6. Director of Chennai, Income - tax (International Taxation), Chennai

Area lying within the territorial limit of State of Tamilnadu, Kerala, Union territory of Pondecherry and Lakshadween.

- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the r eaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 6 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 6;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 6;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 6;
- (d)persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 6;
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 6;

- (a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 6;
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 6.

(3)

(1)

7. Director of Kolkata
Income-tax West Bengal

(2)

Income-tax West Be (International Taxation), Kolkata (i) Areas lying within the territorial limit of State of West Bengal, Orissa, Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) against serial number 7:

(5)

- (a) Persons being residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 7 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 7;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 7;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 7;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 7;
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 7;

- (a) All functions and powers including functions and powers relating to tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a) of column (5) against serial number 7;
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I (b), I (c), I (d) and I (e) of column (5) against serial number 7.

(3)

(4)

(5)

(6)

- (ii) Area lying within the territorial limit of State of Bihar, Jharkhand, Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Tripura.
- II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against Serial number 7.
- (a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 7 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 7.
- (c) all functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Incometax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item II (a) of column (5) against serial number 7.

- 8. Director of Ahmedabad, Income-tax Gujarat (International Taxation), Ahmedabad
- (i) Areas lying within the territorial limit of State of Chhattisgarh, Gujarat and Union Territories of Daman and Diu Dadra and Nagar Haveli
- I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) against serial number 8.
- (a) Persons being residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 8 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 8;
- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 8;
- (c) persons being other than

- (a) All functions and powers including functions and powers relating to tax Deduction at Source under sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a) of column (5) against serial number 8.
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I (b), I (c), I (d) and I (e) of column (5) against serial number 8.

(6)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 24 (1) (2) (3) (5) companies deriving income from business profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 8; (d)persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and O attend having registered office or 78 1 Sld perincipal place of aent, in business in the area mentioned in column (4) against serial number 8: (e) any other person responsible for deducting to ect tax at source under Chapter gaisiu XVII or Chapter XVII-B of guinto: the Income-tax Act, 1961,

> (ii) Area lying within the territorial limit of

Madhya Pradesh.

of the NO 18 !aans

(86118) e unie 10 (HC)

en (4)

:87

9. Director of Pune. Income-tax Maharashtra (International Taxation), Pune

would be the first the first the first

is in Hauses (4) printed

me(i) Area lying within the territorial limit of State of Maharashtra excluding the areas gewithin Metropolitan se Council of Greater (A) Mumbai and District of Thane and Raigarh in the State

of Maharashtra

II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against serial number 8.

within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 8.

(a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 8 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 8.

For the territorial area mentioned at (i) in column (4) against serial number 9.

(a) Persons being nonresidents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent

(c) all functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Income-Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item II (a) of column (5) against serial number 8.

(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax **Deduction at Source under** sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of

(3)

(4)

(5)

(6)

Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 9 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 9;

- (b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 9;
- (c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 9;
- (d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or perincipal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 9;
- (e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 9.

- column (5) against serial number 9.
- (b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 9.

- 2. This notification shall come into force with immediate effect.
- 3. Hindi version will follow shortly.

[F. No. 187/5/2010-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 881(E), dated the 14th September, 2001 and lastly amended, vide, number S.O. 1680 (E), dated 28th September, 2007.